तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

01/06/2017

पत्रावली आज लोक अदालत बैंच कोर्ट आदिका पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजी नं0- 1202 / 674 रकबा 05 बीघा भूमि वादी के खातेदारी कब्जा काश्त की है, वादी व उसके भाईयों के मध्य आये दिन भूमि की खेती करने को लेकर विवाद होने से वादी व उसके भाई रामचरण तथा प्रतिवादी नं0-1 के पति ने प्रशासन गांवों के संग अभियान में आपसी सहमति से 1/3, 1/3 हक हिस्से से बटवारा करवाने के लिये प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर शिविर प्रभारी ने मौके पर बटवारा करने के आदेश दिये गये आदेश की पालना में शिविर में उपस्थित कर्मचारियों ने विधि विरुद्ध तरीके से वादी को गुमराह करते हुये वादी की स्व अर्जित आराजी नं0- 1202/ 674 में प्रतिवादी नं0-1 का कोई हक अधिकार नहीं होते हुये भी 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादी नं0-1 के नाम बटवारा कर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज कर दी, जो अवैध होने से वादी सम्पूर्ण भूमि को अपने नाम दर्ज कराने की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। अन्त में कथन किया कि बाबत वादी डिक्री फरमाया जावें।

जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि आराजी मुतनाजा में वादी का 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी नं0-1 का 1/4 हक हिस्सा होने से नामान्तरण नं0- 1021 दिनांक 24/1/2014 को बटवारा का निर्णित किया गया वह सही है। उसी हक हिस्से से प्रतिवादी नं0-1 काबिज काश्त चली आ रही है। वकील प्रतिवादी का बहस में आगे यह भी कथन किया

निरन्तर——

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कि वादी ने विवादित आराजी को कभी पुश्तैनी होना और कभी स्व अर्जित होना बताकर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है । जिससे यह किसी भी प्रकार से इन्द्राज दुरस्ती करवाने का अधिकारी नहीं होने से दावा वादी खारिज फरमाया जावें । मैंने वकील उभयपक्ष को सुना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है :- पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति जमाबन्दी सं0- 2068 से 2070 मौजा देवरिया के अनुसार वादग्रस्त आराजी नं0- 1202 / 674 रकबा 05 बीघा भूमि मिश्री पिता भूरा जाट 3/4 , सीता उर्फ रसाली पत्नी तेजमल जाट 1/4 खा.पेड दर्ज रेकार्ड होना तथा नामान्तकरण सं0- 1021 दिनांक 24/1/2013 बटवारा से मिश्री पिता भूरा जाट के हिस्से में आराजी नं0- 1202/ 674 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा तथा सीता उर्फ रसाली पत्नी तेजमल जाट खा.पेड के हिस्से में आराजी नं0- 1202 / 674 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है । यहाँ वादी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि उसकी स्व0 अर्जित भूमि है, किन्तु अपने कथनों की पुष्टि में उसके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं करवाया है, जिससे यह माना जा सके कि वादग्रस्त भूमि वादी की स्व0 अर्जित आराजी हो । वादी ने स्वयं अपने वादपत्र की चरण सं0-3 में लिखा है कि:—— वादी व उसके भाईयों के मध्य आये दिन फसल काश्त करने को लेकर विवाद होने की वजह से वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 के पति व रा.करण ने प्रशासन गाँवों के संग अभियान के निरन्तर—	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा

6

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गाँव देवरिया में पुश्तैनी आराजी का समान बटवारा करने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया था , जिस पर तत्कालीन प्रभारी ने मौके पर बटवारा करने के आदेश दिये थे , वादी के उक्त कथनों की पुष्टी भी पत्रावली में उपलब्ध बटवारानामे सं०- 2060 से 2070 में हुये इन्द्राजो से होती है । तदनुसार वादी किसी प्रकार का का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही पाये जाने से दावा वादी खारिज किया जाने योग्य है ।

<u>निर्णय</u>

दावा वादी खारिज किया जाता है । तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली शुमार फैसला होकर दाखिल दफ्तर रहे । निर्णय आज दिनांक 01/06/2017 को खुली [illegible] अदालत में सुनाया गया ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उ.ख.अ. गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

साप्ताहिक पेशी

अवलोकन,

5/1
12/1
2/3
6/4
11/5
27/7
28/9
30/11
7/2
28/3
2/5
18/7
10/10
28/11
16/1/17
20/2
10/4
17/4
9/5

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)गुलाबपुरा (भीलवाडा.)

2014/00133

–:सरवरक:–

(कायदा 129)

[General Rules (Civil), Rule 129, Appendix B Form No. 8]

1 नाम अदालत – सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

2 किस्म मुकदमा – वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88, 188 रा.टि.ए

3 अनवान मुकदमा

मिश्री पिता भूरा जाट नि–देवरिया बनाम सीता उर्फ रसाली पत्नि तेजमल जाट नि–देवरिया

4 नम्बर व सन मुकदमा – 223/2014

5 तारीख दायर – 17/12/2014

6 तारीख फैसला – 1/6/2017

7 तारीख दाखिल होने मुहाफिजखाना –

खारिज

8 अपील या निगरानी की तारीख फैसला –

9 किस्म मिसल या हिस्सा –

10 किस्म रेकार्ड –

11 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ करना है ____________

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ किया गया ____________

12 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ करना है ____________

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ किया गया ____________

13 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ करना है ____________

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ किया गया ____________

14 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलफ करना है ____________

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलफ किया गया ____________

श्री रामस्वरूप जोशी-1

श्री राजेश पारीक

Scanned by CamScanner